



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012023-243208
CG-DL-E-25012023-243208

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 388]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2023/माघ 5, 1944

No. 388]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2023/MAGHA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2023

का.आ. 402(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3512 (अ), दिनांक 23 नवंबर, 2016 द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-275 के (बेंगलूर-मैसूर सेक्शन) के 223.860 किमी से 342.00 कि.मी. तक के मौजूदा खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा जाए) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “नियम” कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 275 के बेंगलूर-निदाघट्टा सेक्शन के डिजाइन कि.मी. 18.000 कि.मी.(मौजूदा कि.मी.341.896) से 74.200 कि.मी (मौजूदा कि.मी. 286.900) के सड़क खंड की निवल लंबाई 22.436 कि.मी. (चार लेन सेक्शन और अधिक के प्रयोग के लिए) और 52.23 कि.मी (जिसकी संरचना लम्बाई 5.223 कि.मी.) की समकक्ष संरचना लम्बाई (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) हेतु यांत्रिक वाहनो पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर और बाइपासों जिनकी लम्बाई 28.541 कि.मी. और लागत दस करोड़ रु. या अधिक है के लिए आधार दर के डेढ़ गुना दर से नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनो पर

शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग यंत्र (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.)(चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृति एवं संग्रहीत शुल्क, शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा अर्थात् :

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1.कर्नाटक राज्य में बंगलुरु के दक्षिण जिले के कनिमिनिके गांव के पास एनएच-275 के बाई ओर पर किमी 23.900 स्टेगर्ड टीपी1 2. कर्नाटक राज्य में रामनगर जिले के शेषागिरिहल्ली गांव के पास एनएच-275 के बाई ओर पर किमी 26.800 पर स्टेगर्ड टीपी2	22.436 (10 करोड़ रूपए से अधिक लागत के बाइपास की लम्बाई को छोड़कर और 60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

- 2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, बाइपास, जिनकी लागत 10 करोड़ रूपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लम्बाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	पर शुरू हो कर	पर मिलते हुए	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लम्बाई (कि.मी में)	लागत (करोड़ रूपए में)	
1. कर्नाटक राज्य में बंगलुरु के दक्षिण जिले के कनिमिनिके गांव के पास एनएच-275 के बाई ओर पर किमी 23.900 स्टेगर्ड टीपी1	बिदादी बाइपास	28.949	35.943	6.6055	218.252	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
2. कर्नाटक राज्य में रामनगर जिले के शेषागिरिहल्ली गांव के पास एनएच-275 के बाई ओर पर किमी 26.800 पर स्टेगर्ड टीपी2	रामनगर और चन्नापटना बाईपास	43.182	65.532	21.9355	679.444	
60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचना को छोड़कर कुल बाई पास लंबाई				28.541		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-4			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई	दर जिसपर शुल्क संदेय है
	(क)		
1.कर्नाटक राज्य में बंगलुरु के दक्षिण जिले के कनिमिनिके गांव के पास एनएच-275 के बाई ओर पर किमी 23.900 स्टेगर्ड टीपी1	5.223	52.23	ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2. कर्नाटक राज्य में रामनगर जिले के शेषागिरिहल्ली गांव के पास एनएच-275 के बाई ओर पर किमी 26.800 पर स्टेगर्ड टीपी2			

विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार और नाम	लंबाई (कि.मी. में)
	से (कि.मी)	तक (कि.मी)		
1	18.730	23.150	एलिवेटेड हाईवे - विंग्स के साथ सिंगल पियर स्पाइन सेगमेंट	4.42
2	29.416	29.5294	बो स्ट्रिंग स्टील गर्डर आरसीसी गर्डर (आरओबी)	0.1134
3	29.5449	29.820	पीएससी गर्डर - एमजेबी	0.2751
4	46.971	47.046	पीएससी गर्डर - एमजेबी	0.075
5	62.120	62.2985	पीएससी गर्डर - एमजेबी	0.1785
6	62.999	63.074	पीएससी गर्डर - एमजेबी	0.075
7	64.380	64.466	स्टील गर्डर+ पीएससी गर्डर (आरओबी)	0.086
कुल				5.223

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315 रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए केवल) और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय राशि	अनुज्ञात यात्राओं की संख्या	एकतरफा की अधिकतम
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम 1ए में विनिर्दिष्ट के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना का अनुमानित पूंजीगत लागत 5158.56 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/13013/547/सीओ/22-23/सीबी/ बेंगलुरु-निदाघट्टा]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2023

S.O. 402(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.3512(E) dated 23th November, 2016 issued under section 11 of National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Existing Kilometer 223.860 to

Km.342.00 (Bangalore-Mysore section) of National Highway No.275 in the State of Karnataka to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “said rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 22.436 Kms [for the use of four and more lane section] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 52.23 Kms (having length of 5.223 Kms) and at one half times the base rate for bypasses having length of 28.541 Kms costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column(1) of the Table 1 below of Bengaluru-Nidaghatta Section of NH-275 from Design Km.18.000 (Existing Km. 341.896) to Km.74.200 (Existing Km. 286.900) in the State of Karnataka and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
1. Staggered TP1 at km 23.900 LHS of NH-275 near Kaniminike village, Bangalore south district in the State of Karnataka	22.436 [Excluding length of bypass (costing > 10 cr.) and length of structures (>60m)]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
2. Staggered TP2 at km 26.800 RHS of NH-275 near SHESHAGIRIHALLI village, Ramanagara district in the State of Karnataka		

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s): -

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off at Km	Merging at Km	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
1. Staggered TP1 at km 23.900 LHS of NH-275 near Kaniminike village, Bangalore south district in the State of Karnataka	Bidadi By pass	28.949	35.943	6.6055	218.252	150% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
2. Staggered TP2 at km 26.800 RHS of NH-275 near SHESHAGIRIHALLI village, Ramanagara district in the State of Karnataka	Ramanagara and Channapatana By pass	43.182	65.532	21.9355	679.444	
Total Bypass Length excluding structure having length more than 60 m				28.541		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Table-4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures to be converted into equivalent road length(in km) (a)	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
1. Staggered TP1 at km 23.900 LHS of NH-275 near Kaniminike village, Bangalore south district in the State of Karnataka	5.223	52.23	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
2. Staggered TP2 at km 26.800 RHS of NH-275 near SHESHAGIRIHALLI village, Ramanagara district in the State of Karnataka			

The details are as under: -

Sl.No.	Chainage		Type and Name of the Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	18.730	23.150	Elevated highway –Single Pier Spine Segment with wings	4.42
2	29.416	29.5294	Bow string Steel Girder+ RCC Girder(ROB)	0.1134
3	29.5449	29.820	PSC girder - MJB	0.2751
4	46.971	47.046	PSC girder - MJB	0.075
5	62.120	62.2985	PSC girder - MJB	0.1785
6	62.999	63.074	PSC girder - MJB	0.075
7	64.380	64.466	Steel Girder+ PSC Girder(ROB)	0.086
Total				5.223

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.315.00 (Rupees Three Hundred Fifteen only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometre for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 5158.56 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/547/CO/22-23/CB/Bengaluru-Nidaghatta]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.